

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

ज्ञाप संख्या-8/गृहस्थल योजना-04-01/2016-

(8)/रा।0, पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

**विषय -** बिहार गृह स्थल योजना अन्तर्गत रैयती भूमि क्रय नीति, 2011 के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल रूपये 1,00,00,000/- (एक करोड़ रूपए) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

**आदेश -** स्वीकृत।

2. बिहार गृह स्थल योजना अन्तर्गत रैयती भूमि क्रय नीति, 2011 के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपबंध की कुल राशि रूपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. वित्तीय वर्ष 2017-18 में पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृह स्थल योजनान्तर्गत 1,00,00,000/- (एक करोड़ रूपए) का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है।

4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-050-भूमि, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अन्तर्गत उप शीर्ष-0107-पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृह स्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय, भाँग सं०-40, विपत्र कोड-40-4047000500107, विषय शीर्ष-5302 भू-अर्जन के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

5. विभागीय संकल्प सं०-373(8) दिनांक-20.11.2014 द्वारा एम०भी०आर० के आधार पर रैयती भूमि क्रय करने का निर्णय लिया गया है।

6. राशि का व्यय वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561(वि०) दिनांक-17.04.1998 एवं इसमें संशोधन संबंधी निर्गत वित्त विभागीय पत्र सं०-3002 दिनांक-26.04.2017 के आलोक में किया जाएगा।

7. राशि की निकासी सम्बन्धित जिला के समाहर्ता द्वारा सम्बन्धित कोषागार से की जायेगी।

8. जिलों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

कृ०पृ०उ०

9. इसमें विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश रु,

ह0 /

(प्रवीण कुमार झा),  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-8/गृहस्थल योजना-04-01/2016- (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-  
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त  
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / -

(प्रवीण कुमार झा),  
सरकार के विशेष सचिव।

EMAIL

ज्ञापांक 8/गृहस्थल योजना-04-01/2016- 544- (8)/रा0, पटना-15, दिनांक- 11/11/17  
प्रतिलिपि-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी सगाहर्ता, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी/  
बजट शाखा (प्रशाखा-5), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रवीण कुमार झा),  
सरकार के विशेष सचिव।